



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2898]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 2018/ श्रावण 5, 1940

No. 2898]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 2018/SHRAVANA 5, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

बधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2018

का. आ. 3684(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 जुलाई, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:-

क्र.सं.	धाराएं
1.	धारा 5; और
2.	धारा 6

[फा.सं. 1/1/2018-सीएल.I]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2018

S.O. 3684(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the day of 27th July, 2018 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely :-

Sl.No.	Sections
1.	Section 5; and
2.	Section 6

[F. No. 1 /1 /2018-CL.I]

K.V.R. MURTY Jt. Secy.